

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 1052/12

संस्थित दिनांक-28.12.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. मथुरासिंह पुत्र भोगीरामसिंह तोमर उम्र 30 साल
 2. कल्लासिंह पुत्र रामस्वरूप बघेल उम्र 28 साल
 3. सोनूसिंह पुत्र हवलदारसिंह तोमर उम्र 26 साल
- निवासीगण ग्राम पढराई थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 21.02.18 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग 2 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.11.12 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग ग्राम पढराई सरकारी स्कूल के पास आम रास्ते पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी प्रेमसिंह एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया, सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में लाठियों से मारपीट कर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी प्रेमसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 16.11.2012 को फरियादी प्रेमसिंह दिन के करीब 11 बजे अपने कुंआ पर खाना देने जा रहा था। पढराई सरकारी स्कूल के पास रास्ते में अभियुक्तगण मिले और माँ बहन की अश्लील गालियाँ देने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने लाठी से उसकी मारपीट की। वह चिल्लाया तो छोटेसिंह तोमर व शिशुपालसिंह आ गए, जिन्होंने बीच बचाव किया। अभियुक्तगण जाते समय जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट पर से अप०क्र० 95/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुशंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया।

साक्षियों के कथन लेख किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में उनके निर्दोष होने तथा झूठा फंसाया जाने का कथन किया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.11.12 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग ग्राम पडराई सरकारी स्कूल के पास आम रास्ते पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी प्रेमसिंह एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक एवं समय या उसके लगभग आहत प्रेमसिंह को शरीर पर चोटे मौजूद थी, यदि हां तो उनकी क्या प्रकृति थी ?
3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में लाठियों से मारपीट कर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी प्रेमसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, प्रेमसिंह अ०सा० 2, छोटेसिंह अ०सा० 3, नायकसिंह भदौरिया अ०सा० 4 शिशुपाल अ०सा० 5, देशराज अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया। जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

—:: विचारणीय प्रश्न क्र० 1 का निष्कर्ष ::—

6. फरियादी प्रेमसिंह अ०सा० 2 यह कथन करता है कि घटना दिनांक 16.11.2012 के दिन के 11 बजे की है। वह खाना लेकर खेत पर जा रहा था। सरकारी स्कूल के खलिहान के पास पहुंचा, वहां आरोपीगण लाठी लिए खड़े थे और उसे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां देने लगे जो सुनने में उसे खराब लगी। जब गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने का कथन करता है। घटना के पश्चात् थाना एण्डोरी में प्र०पी० 3 की रिपोर्ट लिखाए जाने का कथन कर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करता है। घटना के साक्षी छोटेसिंह व शिशुपाल सिंह बताए हैं। छोटेसिंह अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि करीब 5 साल पहले दिन के 10—11 बजे जब प्रेमसिंह हार (खेत) पर खाना लेकर जा रहा था तब स्कूल के पास आरोपीगण से झगडा हो गया, प्रेमसिंह चिल्लाया तो वह भी वहां पहुंच गया। आरोपीगण भाग गए। अपने मुख्य परीक्षण में किसी अभियुक्त द्वारा अश्लील गाली दिए जाने का कथन नहीं करता।

शिशुपाल अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि उनका छोटा भाई प्रेमसिंह देशराज को खाना देकर कुएं पर जा रहा था और स्कूल के पास पहुंचा तो अभियुक्तगण हाथ में लाठी लिए आ गए और मादरचोद बहनचोद की बुरी बुरी गालियां देने लगे। इस प्रकार से यह साक्षी फरियादी के कथन की संपुष्टि करता है।

7. फरियादी प्रेमसिंह अ०सा० 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि लाठी लगने पर जब वह चिल्लाया तो चिल्लाने की आवाज सुनकर छोटेसिंह व शिशुपाल मौके पर आ गए थे। यहां स्पष्ट करता है कि छोटेसिंह और शिशुपाल को घटनास्थल पर आने में दस मिनट लगे होंगे। छोटेसिंह अ०सा० 3 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उनकी प्रेमसिंह से घटना के बारे में कोई बात नहीं हुई। शिशुपाल अ०सा० 5 कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि प्रेमसिंह उनका भाई लगता है, यह भी कथन करते हैं कि उनके 10-20 मिनट बाद प्रेमसिंह घर से निकला था और जब प्रेमसिंह चिल्लाया तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वह घटनास्थल पर पहुंचा था। इस प्रकार से साक्षी छोटेसिंह अ०सा० 3 एवं शिशुपाल अ०सा० 5 घटनास्थल पर पहले से मौजूद साक्षी नहीं थे, बल्कि फरियादी प्रेमसिंह की आवाज सुनकर पहुंचने वाले साक्षी हैं। ऐसे में उनके समक्ष अभियुक्तगण द्वारा कथित गालियां दिए जाने के तथ्य की सुपुष्टि संदिग्ध प्रतीत होती है। शिशुपाल अ०सा० 5 के अतिरिक्त छोटेसिंह अ०सा० 3 ने गाली गलौंच के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। देशराज अ०सा० 6 उनके समक्ष अभियुक्तगण द्वारा उक्त गालियां दिए जाने का कथन करते हैं, किन्तु उक्त साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित रहा हो, इस संबंध में स्वयं फरियादी द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। साथ ही छोटेसिंह अ०सा० 3 एवं शिशुपाल अ०सा० 5 ने भी उक्त साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थिति का कथन नहीं किया है। साक्षी ने कण्डिका 3 में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को पुलिस कथन प्र०डी० 2 में ऐसा नहीं बताया कि घटना दिनांक 16.11.12 को करीब 12 बजे के लगभग प्रेमसिंह के हार के कुंआ पर उसके लिए टिफिन लेकर पहुंचा तब प्रेमसिंह ने उसे बताया था कि अभियुक्तगण ने रास्ते में उसे मारपीट की और गाली गलौंच की। इस प्रकार से यह साक्षी अपने पुलिस कथन से बढ़ चढ़कर कथन करता है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य के संबंध में आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

8. प्रेमसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा "मादरचोद बहनचोद" की गाली दिए जाने का कथन अवश्य करता है, किन्तु इस संबंध में स्पष्ट नहीं करता कि किस अभियुक्त ने अश्लील शब्द या गालियां दी थीं। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करता है कि अभियुक्तगण से उसका बोलचाल नहीं है, पूर्व से रंजिश चली आ रही है। यह भी कथन करता है कि उसकी रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं। इसी कण्डिका में कथन करता है कि इस रिपोर्ट के संबंध में कास मुकदमा लगा था जो अन्य न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जेएमएफसी

गोहद के यहां चला जिसमें एक-एक हजार रुपये जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा हुई थी। साक्षी शिशुपाल के संबंध में कथन करता है कि वह उसका भाई है। शिशुपाल अ०सा० 5 भी कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि प्रेमसिंह उनका भाई लगता है। इस प्रकार से अभियुक्तगण से रंजिश का तथ्य अभिलेख पर है। संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित किये जाने हेतु यह तथ्य आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द अथवा गालियों का प्रयोग किया जाना प्रमाणित होना चाहिये तथा अभिकथित अश्लील शब्द अथवा गालियां सुनकर उसे सुनने वालों को क्षोभ कारित होना आवश्यक है। प्रकरण में सर्वप्रथम तो अश्लील शब्दों के रूप में किस किस अभियुक्त ने कौन कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किए, यह तथ्य स्पष्ट प्रमाणित नहीं है साथ ही साक्षियों की हितबद्धता को ध्यान में रखते हुए गाली गलौच का तथ्य मात्र मौखिक अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर दाण्डिक अपराध के अधीन दोषसिद्धि किए जाने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294 का आरोप प्रमाणित नहीं है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 //

9. फरियादी प्रेमसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि जब वह चिल्लाया तो शिशुपालसिंह एवं छोटेसिंह आ गए जिन्होंने बीच बचाव कराया था। इसके बाद अभियुक्तगण बोले कि आज तो बच गया, मादरचोद आईदा जान से खत्म कर देंगे। संहिता की धारा 294 के आरोप के समान ही इस आरोप के संबंध में फरियादी ने ऐसा तथ्य स्पष्ट नहीं किया कि किस अभियुक्त ने अभिकथित धमकी दी थी, साथ ही अभिकथित धमकी सुनकर उसे कोई भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो। प्र०पी० 3 की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से तथ्य लेख नहीं हैं कि किस व्यक्ति ने अमुक धमकी फरियादी को दी थी। छोटेसिंह अ०सा० 3 अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित धमकी के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं करता। अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न में पूछे जाने पर सुझाव के रूप में अभियुक्तगण के द्वारा अभिकथित धमकी दिए जाने का तथ्य स्वीकार करता है। शिशुपाल अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा अभिकथित धमकी दिए जाने का तथ्य प्रकट करता है, किन्तु कथित धमकी से कोई भय अथवा संत्रास कारित होने का यह भी कथन नहीं करता है।

10. प्रकरण में प्र०पी० 3 की प्राथमिकी घटना से करीब 5 घण्टे पश्चात् दोपहर 3:45 बजे लेख की गयी है जिसमें विलंब का कारण पैदल चलकर आने का लेख किया गया है। साक्षी प्रेमसिंह अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि पुलिस घटना वाले दिन गांव में करीब 3-3:30 बजे के बीच आई थी। फरियादी प्रेमसिंह अ०सा० 2 द्वारा उसके आचरण से ऐसा तथ्य दर्शित नहीं किया है कि वह अभिकथित धमकी के कारण अभियुक्तगण की रिपोर्ट करने में विलंबित हुआ हो। संहिता की धारा 506 भाग 2 के अपराध को प्रमाणित किये जाने हेतु यह तथ्य आवश्यक है कि

अभिलेख पर अभियुक्तगण के द्वारा मृत्यु कारित करने की धमकी दिये जाने के संबंध में संपुष्टिकारक साक्ष्य मौजूद होना चाहिये, साथ ही कथित मृत्यु कारित करने की धमकी से भय अथवा संत्राश कारित होने का तथ्य भी प्रमाणित होना चाहिये। प्रकरण में उक्त आवश्यक तत्व अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 506 भाग 2 का आरोप भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 //

11. प्रकरण में फरियादी प्रेमसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि जब गाली देने से मना किया तो अभियुक्त मथुरा ने लाठी मारी जो दाहिने हाथ तरफ पीठ में लगी और सोनू ने लाठी मारी जो दाहिने पैर तरफ टखने में लगी, कल्ला ने लाठी मारी जो दाहिने हाथ की छिंगो उंगली के बगल वाली उंगली (रिंग फिंगर) में लगी। इस प्रकार से साक्षी उसे चोटें कारित होने का कथन करता है। छोटेसिंह अ०सा० 3 मुख्य परीक्षण में प्रेमसिंह की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुचने और प्रेमसिंह को पैर, पीठ व उंगली में चोट आने का समर्थन करते हैं। शिशुपाल अ०सा० 5 पीठ में दायी तरफ, पैर में दांयी तरफ एवं उंगली में चोट कारित होने का कथन करते हैं। देशराज भी उक्त चोटों का समर्थन करते हैं। फरियादी प्रेमसिंह अ०सा० 2 घटना के संबंध में रिपोर्ट लिखाए जाने, तत्पश्चात् पुलिस द्वारा मेडीकल परीक्षण कराए जाने का कथन करते हैं। प्र०पी० 3 की प्राथमिकी से प्रकरण में अभिकथित फरियादी की चोटों की संपुष्टि हो रही है।

12. डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 16.11.2012 को वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी प्रेमसिंह को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाए जाने पर उन्होंने निम्न चोटें पाई थी –

1—चेहरे पर बांयी तरफ 1 गुणा 0.2 सेमी० तथा 1 गुणा 0.4 सेमी० रगड़ के निशान थे।

2—दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सूजन थी, एक्सरे की सलाह दी गयी थी।

3—पीठ में दाहिने बखा के नीचे 5 गुणा 1 सेमी० नील का निशान था।

4—दाहिने पैर में 2 गुणा 1 सेमी० नील का निशान था।

चिकित्सक उक्त चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से संभावित होने व परीक्षण की अवधि से 12 घण्टे के भीतर की होने के संबंध में अपनी राय देते हैं। चोट क० 2 के संबंध में एक्सरे परीक्षण का सुझाव दिए जाने का कथन करते हैं। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 1 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। आहत का एक्सरे परीक्षण दिनांक 17.11.12 को किए जाने पर कोई अस्थिभंग न पाए जाने और प्र०पी० 2 की रिपोर्ट तैयार करने का कथन करते हैं।

13. डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 द्वारा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 1 में उल्लेखित समय के अनुसार परीक्षण दिनांक 16.11.12 को सांय 5:55 बजे किया जाना लेख किया है। उनके द्वारा आहत को पाई गयी चोटों की अवधि फरियादी के द्वारा अभिकथित घटना की अवधि को आवृत्त करती है। चिकित्सक द्वारा प्र०पी० 1 की रिपोर्ट उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से उस पर अविश्वास का कोई आधार उत्पन्न नहीं करती। प्र०पी० 1 की रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर उक्त अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन पदीय कर्तव्य के निर्वहन में सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने की उपधारणा उत्पन्न करती है। स्वयं अभियुक्तगण की ओर से घटना दिनांक को फरियादी को चोटें कारित होने के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी है। जहां चिकित्सक से प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिया गया है कि चोटें कडी सतह पर फिसलने से आना संभव है, वहीं स्वयं फरियादी प्रेमसिंह को प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिया है कि उसने, देशराज, लालासिंह ने मिलकर प्रकरण के अभियुक्त मथुरा को रास्ते में रोककर मारपीट की जिसमें धक्का मुक्की में फरियादी प्रेमसिंह को चोटें आई। इस प्रकार से एक ओर आहत को गिरने से चोट आने का सुझाव दिया है, दूसरी ओर मारपीट की घटना में धक्का मुक्की में चोट आने का सुझाव परस्पर विरोधाभासी है। सारतः यह तथ्य प्रमाणित है कि घटना दिनांक 16.11.12 को फरियादी प्रेमसिंह को शरीर पर चोटें मौजूद थी।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का सकारण निष्कर्ष //

14. फरियादी प्रेमसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि जब वह खाना लेकर खेत पर जा रहा था तब अभियुक्तगण ने उसकी लाठियों से मारपीट की। इस प्रकार से साक्षी अभियुक्तगण के द्वारा स्वेच्छिक मारपीट कर उपहति कारित किए जाने का कथन करता है। छोटेसिंह अ०सा० 3, शिशुपाल अ०सा० 5 घटना के साक्षी बताए गए हैं जो सारतः मारपीट की घटना की पुष्टि करते हैं। उक्त साक्षी फरियादी के चिल्लाने की आवाज पर घटनास्थल पर पहुंचने का कथन करते हैं। देशराज अ०सा० 6 यद्यपि घटना का साक्षी नहीं हैं फिर भी वह अपने पुलिस कथन प्र०डी० 2 से बढ चढकर कथन करता है, इस कारण से उस पर विश्वास का आधार उत्पन्न नहीं होता है। अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लिया गया है कि रंजिशन उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभिकथित रंजिश के प्रश्न के संबंध में प्रेमसिंह अ०सा० 2 ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण से उसका बोलचाल नहीं हैं, कण्डिका 2 में यह भी स्वीकार करता है कि उसे उक्त प्रकरण से चले प्रति मामले में अर्थदण्ड एवं सजा भी हुई थी। इस प्रकार से रंजिश के बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य अभिलेख पर हैं। किन्तु साथ ही फरियादी प्रेमसिंह को घटना दिनांक को कारित चोटों का तथ्य भी अभिलेख पर है ऐसी दशा में अभियोजन की साक्ष्य को सूक्ष्मता से विश्लेषण की आवश्यकता है।

15. फरियादी प्रेमसिंह घटनास्थल के संबंध में कण्डिका 5 में कथन करता है कि घटनास्थल के पास हनुमानजी का मंदिर है और शासकीय स्कूल भी है, शासकीय स्कूल घटनास्थल से 15-20 कदम और मंदिर भी इतना ही दूरी पर होना बताते हैं। साक्षी यह बताने में अस्मर्थ हैं कि उस दिन स्कूल खुला था या नहीं क्योंकि चिल्लाने की आवाज सुनकर स्कूल से कोई नहीं आया था। साक्षी द्वारा नक्शामौका प्र०पी० 4 के तथ्यों के संबंध में सारतः पुष्टि की है। कण्डिका 4 में फरियादी से प्रश्न पूछा गया कि उसने पुलिस को टिफिन गिरने वाला स्थान दिखाया था या नहीं तो साक्षी ने कथन किया कि उसने उक्त स्थान दिखाया था। इस संबंध में अनुसंधानकर्ता नायकसिंह भदौरिया अ०सा० 4 से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में पूछा गया तो साक्षी का कथन है कि उसे घटनास्थल पर कोई टिफिन प्राप्त नहीं हुआ और न ही खाना वगैरह जमीन पर फैला हुआ दिखा। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय हैं कि प्र०पी० 4 का नक्शामौका घटना के अगले दिन बनाया जाना दर्शित है। ऐसी दशा में ग्रामीण क्षेत्र में खाने का सामान आम सड़क पर एक दिन तक सुरक्षित रखा रहे, यह संभव नहीं है। ऐसे में अभियुक्तगण की ओर से अभिकथित टिफिन का खाना फेलने का स्थान एवं खाने के संबंध में कोई जब्ती न बनाए जाने का तर्क अभियुक्तगण को कोई लाभ प्रदान नहीं करता है।

16. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लिया गया कि घटना दिनांक को करीब 11 बजे अभियुक्त मथुरा अपनी बहन को कोलुआ के लिए बस में बिठाकर आ रहा था और सरकारी स्कूल के पास आया तो वहां फरियादी प्रेमसिंह, साक्षी क० 6 देशराज व लालासिंह तोमर लाठियां लिए मिले और गालियां देने लगे, तत्पश्चात् मथुरा को रास्ता रोककर उक्त लोगों ने लाठियों से मारपीट की, तब पप्पू वघेल और भूरेसिंह गुर्जर ने बीच बचाव किया। यह भी तर्क किया कि घटना स्थल पर मथुरा के अलावा अन्य अभियुक्त मौजूद नहीं थे। फरियादी ने कण्डिका 8 व 9 में उक्त तथ्यों के संबंध में इंकार किया है। अनुसंधानकर्ता नायकसिंह भदौरिया अ०सा० 4 के समक्ष उक्त प्रति मामले प्र०क० 1075/12 एण्डोरी विरुद्ध प्रेमसिंह वगैरह के नक्शामौका प्र०डी० 1 के संबंध में प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिया गया जिसमें साक्षी ने स्वीकार किया है कि अप०क० 94/12 में भी उन्होंने दिनांक 17.11.12 को नक्शामौका बनाया था, उक्त दोनों अपराध का एक ही घटनास्थल था। साक्षी कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि उन्हें विवेचना के दौरान इस आशय का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि कौनसा पक्ष हमलावर था। इस प्रकार से घटनास्थल पर अभियुक्त मथुरा की उपस्थिति सुसंगत समय पर स्पष्ट रूप से स्वीकृत होना दर्शित हुई है।

17. जहां तक अभियुक्तगण का बचाव है कि फरियादी प्रेमसिंह ने साथी लालासिंह एवं देशराज के साथ मिलकर अभियुक्तगण की मारपीट की थी और बचाव में धक्का मुक्की में उसे चोटें आई थी, उक्त तथ्य के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य में ऐसा कोई आधार प्रकट नहीं किया गया है कि अभिकथित घटना दिनांक व सुसंगत समय पर फरियादी ने पहले अभियुक्त मथुरा की मारपीट की

हो। ऐसा भी अभिलेख पर प्रमाणित नहीं हैं कि फरियादी अग्रेसर था और अभियुक्त या अभियुक्तगण ने अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया हो। ऐसी दशा में अभियुक्तगण का कृत्य सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को स्वेच्छा उपहति कारित करने का प्रमाणित होता है। आहत साक्षी की अभिसाक्ष्य दाण्डिक विधि में अधिक महत्व रखती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि –

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया—

“21. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 : (AIR 2011 SC (Cri) 964 : 2010 AIR SCW 5701); Kailas and Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793 : (AIR 2011 SC 598); Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676 : (AIR 2011 SC 795 : 2011 AIR SCW 856); and State of U.P. v. Naresh and Ors., (2011) 4 SCC 324 : (AIR 2011 SC (Cri) 761 : 2011 AIR SCW 1877)).
Resently Followed in :- Narender Singh and others v. State of Madhya Pradesh 2015(11) SCALE 557 : JT 2015 (9) SC 435”

18. जहां तक फरियादी एवं आहत के कथन में विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया है तो उसके कथन में कथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। न्यायदृष्टांत योगेशसिंह विरुद्ध महावीरसिंह व

अन्य एआईआर 2016 एस0सी0-5160 : जे0टी0 2016 (10) एस0सी0 332 : 2016 (4)

सीसीएससी 1876 की कण्डिका 29 में मान० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "विधि में सुस्थापित है कि कुछ असंगतताओं को महत्व प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य पर विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि साक्ष्य असाधारण है और प्रज्ञा के परीक्षण के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह अभियोजन कथन में कमी सृजित कर सकता है। यदि कोई लोप या असंगतता मामले की तह तक जाती है और विषमताओं को प्रविष्ट करती है, तो प्रतिरक्षा ऐसी असंगतियों का लाभ ग्रहण कर सकता है। यह अभिकथित करने के लिए किसी विशेष प्रबलता की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक लोप तात्विक लोप का स्थान नहीं ले सकता इसलिए कुछ असंगतियां, विषमताएं या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते और अभियोजन साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए आधार रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लोप को साक्षी की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता के बारे में गंभीर संदेह सृजित करना चाहिए। केवल गंभीर पारस्परिक विरोध और लोप ही, तात्विक रूप से अभियोजन के मामले को प्रभावित करते हैं किन्तु प्रत्येक परस्पर विरोध या लोप नहीं।" इस मामले में फरियादी प्रेमसिंह अ०सा० 2 की साक्ष्य पर उसे कारित चोटों के संबंध में न्यायालय के समक्ष अविश्वास हेतु युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं हैं।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.11.12 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग ग्राम पडराई सरकारी स्कूल के पास आम रास्ते पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में लाठियों से मारपीट कर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323/34 के अधीन **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्तगण को संहिता की धारा 294 एवं 506 भाग दो के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

20. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

21. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

22. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण परिवेश के होकर नवयुवक हैं। अतः इस आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

23. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के अवश्य हैं। उभयपक्ष एक ही गांव के निवासी है ऐसे में कठोरतम दण्ड से दण्डित करने की दशा में उनके मध्य भविष्य में संबंधों की मधुरता की संभावना समाप्त हो जावेगी। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323/34 के अधीन न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं 1000-1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यक्तिगत की दशा में अभियुक्तगण को एक-एक माह का कारावास भुगताया जावे।

24. अभियुक्तगण से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत प्रेमसिंह पुत्र नेपालसिंह निवासी ग्राम पढराई तहसील गोहद जिला भिण्ड को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्त की धारा 357-1 ख के अधीन 1000 रुपये (एक हजार रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

25. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

26. निर्णय की एक-एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

27. अभियुक्तगण की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश